5. मतदान दलों द्वारा मतदान पश्चात् इण्डियन नेशनल कॉग्रेस पार्टी के अधिकृत अभिकर्ताओं को दी गई प्ररूप 17C में कुल **31 कॅट्रोल यूनिट** के नम्बर भिन्नता पाई गई है। प्ररूप 17C और जिला निर्वाचन द्वारा दी गई दस्तावेज में बैलेट यूनिट के क्रम संख्या में भिन्नता है।
6. दोनों जिले के निर्वाचन कार्यालय से कमिशनिंग, मॉकपोल, और एक्चुवल पोल के दौरान प्रदाय की गई दस्तावेज और मतदान दलों द्वारा प्रदाय की गई प्ररूप 17C का मिलान करने पर **कुल 55 कॅट्रोल यूनिट** के अल्फाबैटिक और न्यूमेरिक नम्बर में भिन्नता पाई गई है।
7. मतदान दलों द्वारा प्रदाय की गई प्ररूप 17C में कुल **10 कॅट्रोल यूनिट** के नम्बर अपूर्ण है। मशीनों में मुद्रित संख्या के अनुसार 5 अल्फाबेटिक एवं 5 न्यूमेरिकल नम्बर समेत कुल 10 अंक होनी चाहिए। जो कि प्ररूप 17C में क्रमबद्ध दर्ज नहीं है।
8. मतदान दलों के द्वारा प्रदाय की गई प्ररूप 17C में कुल **7 कॅट्रोल यूनिट** नम्बर दर्ज ही नहीं किया गया है।
9. बिलासपुर और मुंगेली के जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मशीनों के संबध में प्रदाय की गई दस्तावेज और प्ररूप 17C के मिलान करने पर कुल **135 वी.वी.पैट** के नम्बरों में भिन्नता पाई गई है। 19 बूथों के प्ररूप 17 C में **कुल 19 वी.वी.पैट** के नम्बर दर्ज नहीं है। वही प्ररूप 17C में **3** मशीनों के नम्बर अधूरे हैं। **6** मशीनों के अल्फाबेटिक एवं न्यूमेरिकल नम्बर अलग–अलग हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि जिला निर्वाचन के अधिकारियों और मतदान दलों की मिलीभगत कर निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान को प्रभावित किया गया है। अतः उपरोक्त बिन्दुवार हुई अनियमितता की जांच कर मुझे 02 दिवस के भीतर स्पष्ट जानकारी प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(देवेन्द्र यादव)
प्रत्याशी (इण्डियन नेशनल कांग्रेस)
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 5, बिलासपुर